

# राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर

क्रमांक:- प.17(14)पी.एण्ड एम./पी.ए./वि.बो./2016/

दिनांक:

-:: आदेश ::-

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.08.2016 के अनुसरण में बोर्ड के आदेश क्रमांक प.17 (14) पी एण्ड एम/पी.ए./वि.बो./2015/8966-9017 दिनांक 19.10.2015 में राशि रूपये 10.00 लाख व इससे अधिक के संकर्मों के उपापन की निविदाएँ ई-पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन आमंत्रित किये जाने की सीमा राशि 5.00 लाख रूपये व इससे अधिक तथा प्राक्कलित मूल्य 25.00 लाख या अधिक के माल और सेवाओं के उपापन की सीमा राशि 10.00 लाख रूपये व इससे अधिक का संशोधन तत्काल प्रभाव से अनिवार्य रूप से लागू किया जाता है।

उक्त आदेश प्रशासक महोदय से अनुमोदित है।

- Sd -

(नरेन्द्र कुमार बसंल)  
महाप्रबन्धक (प्रशासन)

क्रमांक:- प.17(14)पी.एण्ड एम./पी.ए./वि.बो./2016/ 3499-545

दिनांक: 01/09/16

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त निजी सचिव (प्रशासक), राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को प्रशासक महोदय के अवलोकनार्थ।
2. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, वित्त (जी एण्ड टी) विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
4. मुख्य लेखाधिकारी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
5. सचिव, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर।
6. अधीक्षण अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, समस्त वृत .....
7. अधिशाषी अभियन्ता, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, समस्त खण्ड .....
8. ऐनालिस्ट कम प्रोग्रामर, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, जयपुर को अपलोड हेतु।
9. शाखा प्रभारी, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड, समस्त .....

(नरेन्द्र कुमार बसंल)  
महाप्रबन्धक (प्रशासन)